(461)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।
(शोध एवं प्रशिक्षण)
संकल्प

विषयः– **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एडुकेशन) कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन तथा महाविद्यालय के संरचना के विकास हेतु निर्गत, संकल्प संख्या–12 / प्रशिक्षण–89 / 2007–204 पटना दिनांक–19.06.2008 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का संशोधन।**

राज्य में शिक्षा के सुदृढीकरण हेतु राज्य के सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय को अपने आप में आत्म निर्भर बन सकें तथा उन्हें अपने भवनों के रख–रखाव, अन्य भौतिक एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए सरकार पर उनकी निर्भरता कम हो इस हेतु विभागीय संकल्प संख्या–12 / प्रशिक्षण–89 / 2007–204 दिनांक–19.06.2008 को निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया है।

2– मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या–12 / प्रशिक्षण–89 / 2007 204 पटना दिनांक–19.06.2008 का कंडिका 14 को निम्नवत संशोधित किया गया जाता है।

"नामांकन हेतु प्रति अभ्यर्थी प्रतिवर्ष 10,000 / – (दस हजार) की राशि शुल्क के रूप में ली जाएगी। अनुसूचित जाति / जनजाति / निशक्त अभ्यर्थियों के लिए यह राशि प्रतिवर्ष 6000 / – होगी। यह राशि विद्यार्थियों के मासिक योजना एवं आवास शुल्क को छोड़कर है।

राशि का विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	मद	अन्य जाति	अनुसूचित जाति / जनजाति / निशक्त
1	भवन रख–रखाव	5000 / –	2800 / –
2	बिजली / पेयजल	300 / –	200 / –
3	रसोई रखरखाव	300 / –	200 / –
4	छात्रावास व्यवस्था	300 / –	200 / –
5	खेलकूद	300 / –	200 / –
6	पुस्तकालय	300 / –	200 /
7	शैक्षिक भ्रमण	400 / –	200 /
8	परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड	200 / –	200 / –
9	कौशन मनी	1500 / –	1000 /
10	प्रयोगशाला	400 / –	200 /
11	कम्प्यूटर	600 / –	300 /
12	आंतरिक मूल्यांकन	400 / –	300 /
	कुल	10,000 / –	6000 /

नोट– कौशन मनी की राशि दोनों वर्ष के लिये प्रवेश के समय ही ली जायेगी जो महाविद्यालय छोड़ने के समय अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी।"

3. मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या–12 / प्रशिक्षण–89 / 2007–204 पटना दिनांक–19.06.2008 के कंडिका 17 अब निम्नवत पढा जायेगा।

"भवन के रखरखाव हेतु गठित समिति में प्राचार्य के अतिरिक्त भवन रखरखाव प्रभारी, छात्रावास प्रभारी एवं छात्र प्रतिनिधि रहेंगे जो रू० 1,00,000 / – (एक लाख रूपये) तक की राशि का उपयोग भवन एवं छात्रावास मरम्मति हेतु अपने स्तर से करेंगे परन्तु महाविद्यालय भवन / छात्रावास मरम्मति का प्राक्कलन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के अभियंता से बनाकर ही व्यय की जा

(460)

सकेगी। प्राचार्य सभी सदस्यों के साथ समिति की बैठक कर किये जाने वाले कार्यों पर निर्णय लेंगे तथा बैठक की कार्यवाही संधारित की जायेगी। जिस पर समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर रहेगा। भवन मरम्मति में रू० 1,00,000/– (एक लाख रूपये) से अधिक की राशि व्यय होने की स्थिति में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम से प्राक्कलन तैयार कराकर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमति प्राप्त कर उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार खर्च कर सकेंगे"।

4. मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण–89/2007–204 पटना दिनांक–19.06.2008 के कंडिका 18 अब निम्नवत पढ़ा जायेगा।

"भौतिक संरचना यथा कुर्सी, टेबुल, दरी इत्यादि पुस्तकालयों के लिए पुस्तक एवं प्रयोगशाला के लिए सामग्री की व्यवस्था हेतु उपर्युक्त समिति रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये) तक की राशि का व्यय अपने स्तर से करेगी तथा इससे अधिक की राशि के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से अनुमति प्राप्त कर करेगी।

5. इस परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं के नामांकन एवं महाविद्यालय के संरचना विकास हेतु संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण–89/2007–204 पटना दिनांक–19.06.2008 के आलोक में निर्गत मार्गदर्शिका की सगत कंडिकायें संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी सभी पदाधिकारियों को प्रेषित की जाय।

18.4.12

(जितेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–12/प्रशिक्षण–89/07 354 पटना, दिनांक– 25/4/12

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि 500 प्रतियाँ प्रकाशित कर उपलब्ध करायी जाय।

18.4.12

संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–12/प्रशिक्षण–89/07 354 पटना, दिनांक 25/4/12

प्रतिलिपि– वित्त आयुक्त/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आय–व्यय पदाधिकारी/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.4.12

संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।